

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- जीयनपुर01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.2.2021 को आवेदक श्री राजकुमार सिंह पुत्र स्व0 रामसूरत सिंह निवासी हरई स्माईलपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण 1. साधू यादव उर्फ बालकरन यादव पुत्र स्व0 अर्जुन यादव 2. रामकरन यादव पुत्र स्व0 अर्जुन यादव 3. श्यामकरन यादव पुत्र स्व0 अर्जुन यादव 4. सत्येन्द्र सिंह पुत्र रामजीत सिंह निवासीगण हरई स्माईलपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के जमीन पर कब्जा करने तथा पाँच लाख रूपये की मांग करने तथा गाली गुप्ता देने तथा तमंचा निकालकर वादी के सीने में सटा देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। , प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 70/2021 धारा- 386/504 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में आज दिनांक 28.02.2021 को उ0नि0 भगत सिंह मय हमराह का0 श्रवण गुप्ता के मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त की तलाश में घर पर दविश दी गयी। अभियुक्त रामकरन यादव पुत्र स्व0 अर्जुन यादव घर पर मौजूद मिला जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 07.45 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामकरन यादव पुत्र स्व0 अर्जुन यादव निवासी हरई स्माईलपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 70/21 धारा 386/504 IPC थाना जीयनपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 380/04 धारा 386 IPC थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 181/10 धारा 216A IPC थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 70/21 धारा 386/504 IPC थाना जीयनपुर आजमगढ़

फरार अभियुक्तगण

1. साधू यादव उर्फ बालकरन यादव पुत्र स्व0 अर्जुन यादव (गिरफ्तार अभियुक्त रामकरन का भाई) जो ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के D-11 गैंग का सदस्य है तथा थाना स्थानीय का HS भी है।
2. श्यामकरन यादव पुत्र स्व0 अर्जुन यादव
3. सत्येन्द्र सिंह पुत्र रामजीत सिंह निवासीगण हरई स्माईलपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 भगत सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 श्रवण गुप्ता थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना-बरदह10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थों के परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 27.02.2021 को उ0नि0 राजबहादुर यादव मय हमराह का0 कृष्णचन्द्र द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/संदिग्ध वाहन की चेकिंग करते हुए मुक्तिपुर बाजार में पहुँचे कि वहाँ पहले से मौजूद मुख्य आरक्षीगण मनोज तिवारी व सुरेन्द्र शर्मा मिले। पुलिस बल द्वारा आपस में अपराध एवं अपराधियों के सम्बन्ध में बातचीत की जा रही थी कि उसी समय मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति नाजायज शराब के साथ खजुरा की तरफ से देवापुर की तरफ आ रहा है इस सूचना पर उ0नि0 राजबहादुर यादव द्वारा मौजूद सभी कर्मचारीगण को साथ खजुरा पुल के पास पहुँचे कि कुछ देर में एक व्यक्ति खजुरा की तरफ से हाथ में प्लास्टिक की पिपिया लिये हुए आ रहा है। पुलिस बल द्वारा रुकने का ईशारा करने पर पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा कि मौके पर मौजूद पुलिस बल के सहयोग से पुल पर ही समय करीब 23.10 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम धुर्पराज विन्द उर्फ सेठ पुत्र स्व0 झुल्लूर विन्द ग्राम लसडाखुर्द (देवापुर) थाना बरदह जनपद आजमगढ बताया। पकड़े गये व्यक्ति की नियमानुसार जामा तलाशी ली गयी तो उसके पास से 10 ली0 की प्लास्टिक की पिपिया में अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 44/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 44/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बरदह जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त

धुर्पराज विन्द उर्फ सेठ पुत्र स्व0 झुल्लूर विन्द ग्राम लसडाखुर्द (देवापुर) थाना बरदह जनपद आजमगढ

बरामदगी

10 ली0 अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 राजबहादुर यादव मय हमराह का0 कृष्णचन्द्र हे0का0 सुरेन्द्र शर्मा हे0का0 मनोज तिवारी थाना बरदह जनपद आजमगढ।

नोट-जनपद आजमगढ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 31 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।